B. S.Walia , जे**,** के समक्ष

नवीन गुलेटी-याचिकाकर्ता

बनाम

संजीव कुमार और अन्य प्रतिवादीगण

सी. आर. सं. 1768/ 2016

18 दिसंबर, 2018

सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908-**आदेश **7,** आर**.** एल**. 11-**दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए दावा किए गए नुकसान**-**अदालत शुल्क का आकलन नुकसान के लिए मुकदमे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए**-**अदालत शुल्क का भुगतान केवल निर्धारित राशि पर किया जाना चाहिए**-**आयोजित**,** शिकायत को अदालत शुल्क का भुगतान न करने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि नुकसान की वसूली और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजे के लिए एक मुकदमे में मुकदमा दायर करने के समय केवल अस्थायी अदालत शुल्क लगाने की आवश्यकता होती है और वादी विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि पर उचित अदालत शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी था।

(पैरा 8)

आगे कहा कि ऊपर उल्लिखित स्थिति के आलोक में, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है, दिनांकित आक्षेपित आदेश 14.01.2016 को दरकिनार कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दिए गए मूल्यांकन को अस्थायी रूप से स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है।देय न्यायालय शुल्क की सटीक राशि डिक्री के पारित होने के समय निर्धारित की जाएगी और याचिकाकर्ता वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

(पैरा 11)

रोहित मित्तल, अधिवक्ता

वंश मल्होत्रा, अधिवक्ता

नवीन गुलेटी बनाम संजीव कुमार और अन्य

याचिकाकर्ता के लिए।

सी. एल. शर्मा, प्रतिवादीगण के लिए अधिवक्ता।

B.S.WALIA, जे,

(1) तत्काल पुनरीक्षण याचिका में विद्वत सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), कालका द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2016 को चुनौती(अनुलग्नक पी-1) दी गई है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी गई है और याचिकाकर्ता-वादी को अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण हर्जाने के रूप में दावा की गई राशि का विवरण वाद में दिया गया था, लेकिन वाद में दी गई राशि अस्थायी थी, इसके अलावा याचिकाकर्ता ने वाद में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उसकी प्रतिष्ठा को धन के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता था और उसने अपने दावे को अस्थायी रूप से Rs.15 लाख तक सीमित कर दिया था और साथ ही यह भी कि याचिकाकर्ता/वादी उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों के हाथों दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के कारण जो सटीक राशि का हकदार होगा, वह पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सराहना के बाद ही पता लगाया जा सकता है, इसलिए, विवादित आदेश कानूनी रूप से अस्थिर था और विशेष रूप से अलग रखा जाने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि उस समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली अदालती शुल्क का निर्धारण किया जाना था।

(3) इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश के पारित होने के कारण तर्क को दोहराया है और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है।

(4) मैंने पक्षों के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने पर विचार किया है।

(5) अभियोग के मुख्य नोट (अनुलग्नक पी-4) के अवलोकन से पता चलता है कि दीवानी मुकदमा रुपये 15 लाख की वसूली के लिए दायर किया गया था। मुकदमा दायर करने की

तारीख से इसकी प्राप्ति तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के रूप में दायर किया गया था. अभियोग के पैराग्राफ No.10 में

कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता-वादी को याचिकाकर्ता-वादी के अलावा परिवहन आदि सहित मुकदमेबाजी पर 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। कारोबार में 10 लाख रुपये खर्च किए। उनके इलाज पर लगभग 4 लाख रुपये खर्च किए जाते थे और उनकी नियमित दवा और चिकित्सा जांच के लिए हर महीने बड़ी राशि भी खर्च की जाती थी। इसके अलावा शिकायत के पैराग्राफ No.11 , यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को धन के संदर्भ में नहीं मापा जा सका, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता-वादी ने अपने दावे को अस्थायी रूप से यह कहते हुए कि वह अंततः न्यायालय द्वारा वास्तव में किए गए मूल्यांकन से बाध्य होगा।

(6) विद्वत विचारण न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता-वादी ने रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के रूप में 15 लाख रुपये प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ और उसी राहत के लिए वाद के मुख्य नोट के साथ-साथ प्रार्थना खंड में अनुरोध किया गया था, जबकि वाद के पैराग्राफ No.10 में, याचिकाकर्ता-वादी ने एक स्पष्ट याचिका दायर की थी कि उसने 1 लाख रुपये रु। मुकदमेबाजी मेंलगाय,और व्यापार में 10 लाखतक का नुकसान हुआ था। उनके इलाज पर 4 लाख। इसलिए, कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता-वादी ने रुपये 15 लाख की राहत मांगी थी। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान के रूप में 15 लाख।उपरोक्त पृष्ठभूमि में, विद्वत विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता-वादी ने प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के कहने पर दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण कथित रूप से हुए नुकसान के संबंध में वाद में एक स्पष्ट याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ता-वादी द्वारा मांगी गई राहत भी बहुत विशिष्ट और स्पष्ट थी, इसलिए, आवेदन को अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता-वादी को रुपये की राहत पर अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। सूट में 15 लाख की मांग की गई।

(7) याचिकाकर्ता-वादी के विद्वान वकील ने 2016 के सी. आर. No.1732 में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है, जिसका शीर्षक अशोक कुमार मित्तल बनाम सत कमल पाठक है और अन्य ने 31.07.2017 पर फैसला किया है, जो आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत उक्त मामले में आवेदन की अनुमति देने वाले आदेश से भी संबंधित था

और उसमें वादी को अदालत की फीस की कमी को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त मुकदमा भी 50 लाखरुपये के नुकसान की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमा

था। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, गलत तरीके से बंधक बनाने, क्रूरता, शारीरिक और मानसिक, व्यवसाय के नुकसान और स्वयं और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा के नुकसान और मानहानि के लिए 50 लाख।उक्त मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"इस समय, यह कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता हर्जाने के कारण उसके द्वारा दावा की गई उपरोक्त राशि का हकदार होगा।ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वादी को अपने अनुरोधित मामले को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य का नेतृत्व करके साबित करना होगा ताकि विद्वत विचारण न्यायालय को एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।यह कहने के बाद, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वत निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।"

"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वाद पर निर्णय लेते समय, यदि विद्वत विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी एक विशेष राशि का हकदार है, तो विद्वत विचारण न्यायालय वादी को शेष न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देकर अच्छा करेगा, जिस हद तक वह कम पाया जाएगा और वादी तदनुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।"

"जब तक दोनों पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाए जाने वाले साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा मामले पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक वादी-याचिकाकर्ता को नुकसान के कारण उसके द्वारा दावा की गई कुल राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि परिसमापन दावे की वसूली के लिए सरल मुकदमे में लागू मुकदमे के मूल्यांकन के सिद्धांत को अदालत शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के मुकदमे पर लागू नहीं किया जा सकता है।इस स्तर पर, केवल एक अस्थायी मूल्यांकन किया जा सकता है और इस तरह के अस्थायी उल्लंघन को विद्वान न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।"

(8) याचिकाकर्ता-वादी के विद्वान वकील ने भी उल्लेख किया है

2016 के सी. आर. No.6904 में इस न्यायालय के निर्णय के लिए, जिसका शीर्षक था दर्शन सिंह बनाम फ़लविंदर सिंह और अन्य ने 22.02.2018 पर निर्णय लिया,

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने और मुआवजे के रूप में 7 लाख रुपये, की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया है। एक समन्वय पीठ ने विद्वत विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा कि हर्जाने की वसूली और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजे के मुकदमे में मुकदमा दायर करते समय केवल अस्थायी अदालत शुल्क लगाने की आवश्यकता होती है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि पर वादी द्वारा उचित अदालत शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी था।

(9) इस न्यायालय की समन्वय पीठ/bench ने (मैसर्स कमर्शियल एविएशन में और ट्रैवल कंपनी बनाम विमला पन्नालाल 1), (सुभाष चंदर गोयल बनाम परविंदर सागर 2),(पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदीप सिंह चौहान 3),(सलीम बनाम उस्मान गनी और अन्य 4), (तरविंदर कुमार बेदी बनाम जीत प्रकाश 5), (S.Ajit सिंह कोहाड़ बनाम शशि कांत 6), (जसपाल सिंह एक अन्य बनाम गुरबिंदर सिंह 7) और (भरपूर सिंह और एक अन्य बनाम लछमन सिंह 8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर ध्यान दिया और अनुमति दी।

पुनरीक्षण याचिका, इस आधार पर अतिरिक्त अदालत शुल्क के भुगतान का निर्देश देने वाले विवादित आदेश को रद्द कर दें कि जब तक कि विद्वान अदालत वादी द्वारा दावा की गई राहत का सही मूल्यांकन निर्धारित करने में सक्षम न हो,

1 (1988) 3 एस. सी. सी. 423

2 2003 आकाशवाणी (पंजाब) 248

3 2005(1) आर. सी. आर. (सिविल) 54

4 2015 (2) पीएलआर 39

5 2015 (2) पीएलआर 92

6 2015 (1) लॉ हेराल्ड 767

7 2015 (3) पीएलआर 97 8 2015 (3) पीएलआर 97

वादी को अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने की कोई गुंजाइश नहीं थी और यह तभी संभव होगा जब निचली अदालत साक्ष्य की सराहना के बाद उचित निष्कर्ष दर्ज करे और अंतिम निर्धारण पर पहुंचे कि वादी किस विशिष्ट राशि का हकदार होगा।

(10) तत्काल मामले में, शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता-वादी ने रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के रूप में 15 लाख (अस्थायी)।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद No.10 में, याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण अनुमानित राशि का विवरण दिया गया है, लेकिन उपरोक्त राशि अस्थायी है।इसी तरह वाद के पैराग्राफ No.11 में, याचिकाकर्ता-वादी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसकी प्रतिष्ठा को धन के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है, फिर भी याचिकाकर्ता-वादी ने अपने दावे को अस्थायी रूप से रु। 15 लाख।तथापि, विद्वत विचारण न्यायालय के लिए यह संभव होगा कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सराहना के बाद ही याचिकाकर्ता वादी प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों के हाथों दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के कारण कितनी राशि का हकदार होगा, इस बारे में एक विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे।

(11) ऊपर उल्लिखित स्थिति के आलोक में, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है, 14.01.2016 दिनांकित आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दिए गए मूल्यांकन को अस्थायी रूप से स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है।देय न्यायालय शुल्क की सटीक राशि डिक्री के पारित होने के समय निर्धारित की जाएगी और याचिकाकर्ता वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

(12) पुनरीक्षण याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में allowed दी गई है।

ऋतंबर ऋषि

----------अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

गरिमा गिलानी